रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 1994/वैसाख 30, 1916
No. 253] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 1994/VAISAKHA 30, 1916

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 1994

का. आ. 385(अ) – केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1994 है।

(2) यह 1 जून, 1994 से प्रवृत्त होगा ।

2. दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :—

"7. कुछ मामलों में आदेश का लागू न होना – इस आदेश की कोई बात दालों के उत्पादन, उपायन, विक्रय, क्रय या वितरण में लगे –

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी या किसी कानूनी निगम, अथवा

(ii) केन्द्रीय स्तर या राज्य स्तर की किसी सहकारी सोसाइटी को लागू नहीं होगी।"

[फा. सं. 14(2)/94–ई सी आर8सी]
प्रदीप बैजल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—

मुख्य आदेश का. आ. संख्या 780(अ) दिनांक 21-11-77 द्वारा अधिसूचित किया गया था तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया था :—

का. आ. सं. 64(अ) दिनांक 4-2-1978
का. आ. सं. 400(अ) दिनांक 26-6-1978
का. आ. सं. 536(अ) दिनांक 20-9-1979
का. आ. सं. 10(अ) दिनांक 7-1-1982

का. आ. स 740(अ) दिनांक 17-10-1983
का. आ. सं 465(अ) दिनांक 14-6-1985
का आ. सं. 696(अ) दिनांक 30-9-1986
का आ. सं. 691(अ) दिनांक 13-7-1987
का. आ. सं. 833(अ) दिनांक 13-9-1987
का. आ. सं. 983(अ) दिनाक 12-11-1987
का. आ. सं. 992(अ) दिनांक 18-11-1987
का. आ. सं 1052(अ) दिनांक 10-12-1987
का. आ. सं. 211(अ) दिनाक 26-2-1988
का. आ. स. 595(अ) दिनांक 21-6-1988
का. आ. सं. 750(अ) दिनांक 11-8-1988
का. आ. सं. 1063(अ) दिनांक 18-11-1988
का. आ. स. 3(अ) दिनांक 2-1-1989
का. आ. स. 230(अ) दिनांक 28-3-1989
का. आ. सं. 351(अ) दिनांक 10-5-1989
का. आ. सं. 634(अ) दिनांक 11-8-1989
का. आ. सं. 1035(अ) दिनांक 13-12-1989
का. आ. सं. 256(अ) दिनांक 26-3-1990
का. आ. सं. 331(अ) दिनांक 18-4-1990
का. आ. सं. 505(अ) दिमांक 22-6-1990
का. आ. सं. 711(अ) दिनांक 13-9-1990
का. आ. सं. 223(अ) दिनांक 26-3-1991
का. आ. सं. 485(अ) दिनांक 26-7-1991
का. आ. सं. 298(अ) दिनांक 27-4-1992
का. आ सं. 332(अ) दिनांक 14-5-1992
का. आ. सं. 612(अ) दिनांक 10-8-1992
का. आ. सं. 730(अ) दिनांक 1-10-1992
का. आ. स. 93(अ) दिनांक 8-2-1993
का. आ. सं. 98(अ) दिनांक 10-2-1993
का. आ. सं. 718(अ) दिनांक 25-9-1993

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

ORDER

New Delhi, the 20th May, 1994

S.O. 385(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977, namely :—

1. (1) This Order may be called the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Amendment Order, 1994.

(2) It shall come into force from the 1st day of June, 1994.

2. In the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977, for clause 7, the following clause shall be substituted, namely :—

"7. Order not to apply in certain cases.— Nothing in this Order shall apply to—

(i) a Corporation or a Company owned or controlled by the Central Government or a State Government or a Statutory Corporation, or

(ii) a Central level or a State level cooperative society,

engaged in the production, procurement, sale, purchase or distribution of pulses."

[F. No. 14(2)|94-ECR&E]

PRADIP BAIJAL, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—The principal order was notified vide S.O. No. 780(E) dated 21-11-1977 and subsequently amended vide :—

S.O. No. 64(E) dated 4-2-1978.
S.O. No. 400(E) dated 26-6-1978.
S.O. No. 536(E) dated 20-9-1979.
S.O. No. 10(E) dated 7-1-1982.
S.O. No. 740(E) dated 17-10-1983.
S.O. No. 465(E) dated 14-6-1985.
S.O. No. 696(E) dated 30-9-1986.
S.O. No. 691(E) dated 13-7-1987.
S.O. No. 833(E) dated 13-9-1987.
S.O. No. 983(E) dated 12-11-1987.
S.O. No. 992(E) dated 18-11-1987.
S.O. No. 1052(E) dated 10-12-1987.
S.O. No. 211(E) dated 26-2-1988.
S.O. No. 595(E) dated 21-6-1988.
S.O. No. 750(E) dated 11-8-1988.
S.O. No. 1063(E) dated 18-11-1988.
S.O. No. 3(E) dated 2-1-1989.
S.O. No. 230(E) dated 28-3-1989.

S.O. No. 351(E) dated 10-5-1989.
S.O. No. 634(E) dated 11-8-1989.
S.O. No. 1035(E) dated 13-12-1989.
S.O. No. 256(E) dated 26-3-1990.
S.O. No. 331(E) dated 18-4-1990.
S.O. No. 505(E) dated 22-6-1990.
S.O. No. 711(E) dated 13-9-1990.
S.O. No. 223(E) dated 26-3-1991.
S.O. No. 485(E) dated 26-7-1991.
S.O. No. 298(E) dated 27-4-1992.
S.O. No. 332(E) dated 14-5-1992.
S.O. No. 612(E) dated 10-8-1992.
S.O. No. 730(E) dated 1-10-1992.
S.O. No. 93(E) dated 8-2-1993.
S.O. No. 98(E) dated 10-2-1993.
S.O. No. 718(E) dated 25-9-1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1994